बिहार सरकार

जिला परिषद् कार्यालय, नालन्दा

सेवा–निवृत सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान सहायक–सह–लेखापाल, सहायक लेखापाल, उच्च वर्गीय लिपिक एवं लिपिक के नियोजन हेतु विज्ञापन

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 11868 / पं0रा0, दिनांक 12.12.2022 के आलोक में जिला परिषद् कार्यालय, नालन्दा अन्तर्गत रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियोजन हेतु राज्य सरकार / जिला परिषद् / बोर्ड / निगम / लोक उपक्रम से सेवानिवृत सहायक अभियंता / कनीय अभियंता / प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल / सहायक लेखापाल / उच्च वर्गीय लिपिक / लिपिक से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है :–

क्र0 सं0	पदनाम	रिक्ति की स्थिति	अभ्युक्ति
1	सहायक अभियंता	**01**	
2	कनीय अभियंता	**03**	
3	प्रधान सहायक–सह–लेखापाल	**01**	
4	सहायक लेखापाल	**01**	
5	उच्च वर्गीय लिपिक	**02**	
6	लिपिक	**04**	

आवेदन पत्र दिनांक 11.03.2023 तक जिला परिषद् कार्यालय, नालन्दा में कार्यालय अवधि में सीधे या निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

संविदा पर नियोजन हेतु शर्त निम्न प्रकार है :–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार जिला परिषद् द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित जिला परिषद् द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत सेवकों का संविदा विस्तार प्रमण्डलीय आयुक्त की सहमती से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा। परन्तु वैसे पदों जिनकी सेवानिवृति की आयु भी 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।
2. संविदा पर नियोजन हेतु सेवानिवृति सेवको का चयन किये जाते समय उनके अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वस्थ्य हाने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा।
3. आवेदन को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
4. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति की समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा।
5. मासिक मानदेय की राशि उक्त सेवानिवृति सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।
6. नयी पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा बोर्ड / निगम / लोक–उपक्रमों से सेवानिवृत कर्मियों का संविदा पर नियोजन सेवानिवृति के समय पारित पद / समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

   ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैण्ड का आरंभिक वेतन / वेतन स्तर (Pay Level) का प्रारंभिक वेतन+उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महँगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृति के समय वेतन+महँगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।
7. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भांती क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।
8. नियोजित संविदा कर्मियों को जिला परिषद् के साथ एक एकरारनामा विहित प्रपत्र में करना होगा, जिसमें नियम एवं शर्ते रहेगी।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मियों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में किसी भी समय संविदा रदद् कर दी जायेगी।
10. बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रदद् करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, नालन्दा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, नालन्दा।

PR- 15300 (Ni Ni) 2022-23

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है